177

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 11/2012–13

फिलीप हांसदा .....अपीलकर्त्ता

बनाम

पद्मावती हांसदा एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

30/04/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 11/2012–13 फिलीप हांसदा बनाम् पद्मावती हांसदा एवं अन्य, मौजा पहाड़पुर, अंचल मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 603/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अपीलकर्त्ता को लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 26.04.2016 एवं उत्तरकारी द्वारा दिनांक 29.04.2016 को लिखित बहस दाखिल किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पहाड़पुर के अंतिम प्रधान दासो हांसदा थे। जिनकी मृत्यु वर्ष 2002 मे हो चुकी है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व प्रधान की तीन पुत्रियाँ (1) पद्मावती हांसदा (2) सरस्वती हांसदा एवं (3) अलावती हांसदा है। इनमें से प्रथम एवं तृतीय पुत्री की शादी घरजमाई के रूप में हुई है एवं द्वितीय पुत्र की शादी साधारण तौर पर हुई है। पूर्व प्रधान के प्रथम पुत्री की शादी घरजमाई के रूप में होने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें मौजा के प्रधान धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। इस पर अपीलकर्त्ता का कहना है कि पूर्व प्रधान की मृत्यु नावल्द हो चुकी है। उन्होंने सबूत के तौर पर वर्त्तमान सर्वे का जमाबन्दी सं0 53 की सच्ची प्रति की छायाप्रति दाखिल किया है जिसमें दासो हांसदा पिता साधो हांसदा को (नावल्द) फौती बोलकर दर्ज किया गया है। उनका यह भी कहना है कि मेकफर्सन जमाबन्दी नं0 23 से गैंजर जमाबन्दी में 17 एवं 27 जमाबन्दी विभक्त होकर बना है। अपीलकर्त्ता जमाबन्दी नं0 27 के रैयत है एवं पूर्व प्रधान जमाबन्दी सं0 17 के रैयत है जिसे वर्त्तमान सर्वे में फौत के रूप में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में उनका दावा धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर बनता है।

उत्तरकारी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान एवं लिखित बहस में कहा है कि मौजा के पूर्व प्रधान दासो हांसदा थे एवं उत्तरकारी पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्री है एवं उनकी शादी घरजमाई के रूप में हुई है। अपीलकर्त्ता का पूर्व प्रधान से कोई संबंध नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का मेकफर्सन सर्वे सेटेलमेंट के आधार पर पूर्व प्रधान का वंशज होने का दावा करते है जबकि उत्तरकारी का दावा पूर्व प्रधान के जेष्ठ घरजमाई पुत्री के आधार पर है। चुँकि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के सीधे वंशवृक्ष के अन्तर्गत नहीं आते है, ऐसी स्थिति में उनका दावा सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत विचारणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है तथा उत्तरकारी पूर्व प्रधान का घरजमाई पुत्री होने के नाते उन्हें निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।